भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1163

शुक्रवार, 28 जून, 2019 को उत्तर देने के लिए

भारतीय अनुसंधानकर्ताओं के लिए संभावनाएं एवं अवसर

1163 श्रीमती राम्या हरिदासः

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीय अनुसंधानकर्त्ताओं को भारतीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में काम करने हेतु आकर्षक अवसर और मौके प्रदान करने के लिए किसी योजना का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे भारतीय वैज्ञानिकों की संख्या का अनुमानित आंकड़ा या हिसाब रखती है जो विदेशों में काम करने के लिए भारत से पलायन कर जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त संख्या का अनुमान-प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और

प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) और (ख): जी, हाँ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सांविधिक निकाय, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), ने एक विशिष्ट समय-अवधि के लिए भारतीय सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थानों और विश्वविद्यालयों में कार्य करने के लिए अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) तथा भारत के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) सहित विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को लाने के लिए एक नई 'आगंतुक उन्नत संयुक्त अनुसंधान (वज्र) संकाय' स्कीम का निरूपण किया और उसे आंरभ किया। यह स्कीम एक अथवा अधिक भारतीय सहयोगियों के साथ ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण, सामग्री और विनिर्माण आदि जैसे प्राथमिकता वाले अंतर्विषयात्मक क्षेत्रों सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तायुक्त सहयोगात्मक अनुसंधान करने हेतु भारतीय शोधकर्त्ताओं सहित विदेशी वैज्ञानिकों के लिए सहायक/आगंतुक संकाय कार्य की पेशकश करती है। इसके अतिरिक्त, रामानुजन फेलोशिप स्कीम और इंस्पायर संकाय स्कीम के माध्यम से डीएसटी तथा रामलिंगास्वामी पुनर्प्रवेश अध्येतावृत्ति के माध्यम से जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) उच्च क्षमता वाले भारतीय शोधकर्त्ताओं को, जो विदेश में रह रहे हैं, अपने से संबंधित अभिरूचि और कार्यक्षेत्र के भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में कार्य करने के लिए आकर्षक अवसर और मौके प्रदान करते हैं। वेलकम ट्रस्ट/डीबीटी भारत सहयोग कार्यक्रम किसी भी नागरिक को भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों आदि में आधारभूत, क्लिनीकल शोध और लोक स्वास्थ्य में अनुसंधान कार्य करने के लिए फेलोशिप की पेशकश करता है।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत छोड़कर अन्य देशों में कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों पर दृष्टि रखने अथवा उनकी संख्या का हिसाब रखने वाला कोई तंत्र स्थापित नहीं किया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****